

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

क्रमांक 183/स्था/राज/2016

भोपाल, दिनांक 22/09 /2016

स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/रीवा/सागर में सहायक प्राध्यापको के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन
चिकित्सा महाविद्यालयवार सहायक प्राध्यापको के रिक्त पदों की जानकारी


क्र	विषय	भोपाल				इंदौर				ग्वालियर				रीवा				सागर				जबलपुर			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	एनाटॉमी	-	-	-	-	01	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	01	-	-	-
2	फिजियोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-	01	-
3	फोरेन्सिक मेडिसीन	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-
4	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	01	-	-	-	01(F)	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-
6	रेडियोथेरेपी	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	रेडियो-डायग्नोसिस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
8	शिशु रोग	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	01	-	01	-	01	-	-	-	-	-
9	डरमेटोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-
10	न्यूरो सर्जरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मानसिक रोग	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	टी0बी0चेस्ट	-	-	-	-	-	-	01(F)	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-
13	स्त्रीरोग	-	-	-	-	05	01	01	01	01	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-
14	मेडिसीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


22/9/16

क्र	विषय	भोपाल				इंदौर				ग्वालियर				रीवा				सागर				जबलपुर			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
15	जनरल सर्जरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	नेत्र रोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-
17	गेस्ट्रोइंट्रोलॉजी	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	पैथोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-
19	बायोकेमेस्ट्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01
20	आर्थोपेडिक्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	पी.एस.एम.	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01	01	-	01	-	-	-	-	-	-
22	निश्चेतना	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	कार्डियोथोरासिक सर्जरी	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	नेफ्रोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	कार्डियेक एनेस्थेसिया	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्रिडेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
27	दंत	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	कार्डियोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-


नोट

- 1- संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट मे उपलब्ध कराये गये विज्ञापन क्रमांक 354/स्था/राज/2016 दिनांक 23.02.2016 के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के अनारक्षित श्रेणी (स्त्रीरोग) के पद हेतु जिन उम्मीदवारो द्वारा पूर्व मे आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उन्हे यदि पुनः


 22/9/16

आवेदन देना है तो डी.डी. संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु नवीन विज्ञापित पद पर आवेदन देने हेतु पुनः डीडी एवं नवीन आवेदन देना अनिवार्य होगा ।


- 2- सहायक प्राध्यापक बायोकेमेस्ट्री विषय हेतु एम0डी0बायोकेमेस्ट्री / एमबीबीएस विथ एमएससी(मेडिकल बायोकेमेस्ट्री)वाले उम्मीदवार ही आवेदन करे
- 3- उपरोक्त रिक्तियां संबंधित स्वशासी संस्था द्वारा संधारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।
- 4- साक्षात्कार संचालनालय चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन "क"खण्ड छटवी मंजिल मे आयोजित किया जावेगा । साक्षात्कार की तिथी संचालनालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी। रिक्त पदो की संख्या मे कमी/वृद्धि या विज्ञप्ति भी निरस्त की जा सकती है । आवश्यक होने पर विज्ञापन के संदर्भ मे नवीन सूचनाएं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेंगी आवेदक नई सूचनाएं हेतु संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करने का कष्ट करें।
- 5- साक्षात्कार हेतु किसी भी अभ्यर्थी को अलग से सूचना पत्र जारी नहीं किया जायेगा। आवेदन देने की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी निरंतर संचालनालय की वेबसाईट का अवलोकन करे।


22/1/16

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC=अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है। सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी-3-2/97/3/1, दिनांक 18.02.1997 में दिये गये निर्देशानुसार यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित वर्ग अथवा अनारक्षित वर्ग में 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये उपरोक्तानुसार आरक्षित उपर्युक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन न होने से रिक्त रहे जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (Carry forward) नहीं किये जायेंगे और ऐसे रिक्त पद को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिला से भी नहीं भरा जायेगा। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये वह आरक्षित हैं।

- (1) यह नियुक्तियाँ स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिनस्थ स्वशासी संस्था के अंतर्गत नियमित नियुक्ति होगी, किन्तु नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जावेगी।
- (2) वेतनमान :- ₹0 15600-39100 + ग्रेड-पे 7000/-
- (3) साक्षात्कार स्थल :- संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छठवी. मंजिल सतपुडा भवन भोपाल।
- (4) आयु सीमा :- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 3/11/2012 एवं 20/11/2012 के अनुसार शासकीय सेवाओं में सीधी भरती से नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :-


पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा)	45 वर्ष
महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष


 24/11/16

- (5) आयु संगणना की तिथि 01.01.2016 तक को मानकर की जावेगी।
- (6) नियुक्ति का तरीका - नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
- (7) आवेदन शुल्क :- सहायक प्राध्यापक के पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग रुपये 700/- (सात सौ रुपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को रुपये 350/- (तीन सौ पचास रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया होकर "DIRECTOR MEDICAL EDUCATION, BHOPAL(M.P.)" के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का पूरा नाम, विषय का नाम, पता एवं फोन नम्बर लिखना आवश्यक है। आवेदक द्वारा जिस माह में आवेदन दिया जाता है, उसी माह का बैंक ड्राफ्ट लगाना होगा एवं प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय हेतु पृथक-पृथक ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य होगा। अन्यथा उम्मीदवार को उसी चिकित्सा महाविद्यालय के साक्षात्कार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी, जो उम्मीदवार ने आवेदन पत्र में दर्शाई है।
- (8) शैक्षणिक योग्यता :- शैक्षणिक योग्यता एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ही होगी। उम्मीदवार को एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा सम्बन्धित विषय में उपाधि धारक होना आवश्यक है।
- (9) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र दिनांक 10/10/2016 तक संचालनालय चिकित्सा शिक्षा भोपाल कार्यालय में सांय 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संचालनालय की आवक शाखा में जमा करवाये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए संचालनालय चिकित्सा शिक्षा कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा एवं किसी भी स्थिति में बैंक ड्राफ्ट वापस नहीं किया जावेगा।
- (10) यात्रा भत्ता - साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
- (11) रिक्त पदों की पूर्ति की जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनाएँ संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर प्रसारित की जावेगी। आवेदक नवीन सूचनाएँ हेतु संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करें।
- (12) अन्य शर्त :-



22/10/16

1. यह नियुक्ति स्वशासी सेवा भर्ती नियमों के अधीन की जा रही हैं एवं स्वशासी नियम लागू होंगे।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
3. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
4. उम्मीदवारों की आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अथवा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होंगी।
6. सेवारत उम्मीदवारों (शासकीय/ अशासकीय/ निजी संस्था) को नियोक्ता की अद्यतन स्थिति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) आवेदन प्रस्तुत करते समय संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
7. उम्मीदवार को स्टेट मेडिकल कौंसिल/मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया में पंजीयन करना अनिवार्य होगा।
8. साक्षात्कार हेतु केवल अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों स्कुटनी से सफल पाये जाने वाले उम्मीदवार ही नियमानुसार बुलाये जावेंगे।
9. स्कुटनी के समय (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ प्रोफ की अंकसूची/इंटरनशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट/एम.डी./एम.एस./डी0एन0बी0/डी.एम./एम.सी.एच./एम.डी.एस. का अटेम्प्ट सर्टिफिकेट एवं डिग्री (स्नातक/स्नातकोत्तर)) उपरोक्त समस्त प्रमाण-पत्रों की मूलप्रतियां सत्यापन हेतु स्वयं अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्यथा संबंधित उम्मीदवार को अपात्र घोषित किया जावेगा।
10. जिस आवेदक की दो से अधिक जीवित संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात, हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या


24/1/16

उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।


11. यू0जी0/पी0जी0/एस.टी.एफ. या आदि में से किसी भी स्तर पर कोई कार्यवाही लंबित/प्रचलन में है, के उम्मीदवार आवेदन न करें।
12. यू0जी0/पी0जी0/एस.टी.एफ. या आदि में से किसी भी स्तर पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं है इस आशय का शपथ पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
13. आवेदक प्रेषित किए जाने वाले आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करे :-
 - (13) आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य होगा।
 - (14) शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र:- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हे आवेदक ने उत्तीर्ण किया है, के समस्त वर्षों की अंक सूचियों व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्रीया एवं एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डी.एम./एम.सी.एच./एम.डी.एस. का अटेम्प्ट सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य हैं। इसी तरह रिसर्च पेपर/पब्लिकेशन दिनांक 03.09.2015 को एम.सी.आई. द्वारा जारी पत्र अनुसार ही मान्य होंगे।
 - (15) अनुभव के प्रमाण पत्र:- अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये, जो मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के प्रचलित नियम के अंतर्गत मान्य हो, पी.जी. उत्तीर्ण करने के पश्चात् का ही अनुभव मान्य किया जावेगा एवं जिस विषय हेतु आवेदन दिया है, उसी विषय का अनुभव मान्य किया जावेगा।
 - (16) जाति के प्रमाण पत्र:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन के साथ संलग्न करे। साक्षात्कार के समय


22/9/16

स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक का कोई वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं महाविद्यालय इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाये विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।

- (17) स्कूटनी के समय एम.डी./एम.एस./डी0एन0बी0/डी.एम./एम.सी.एच./एम.डी.एस. में अटेम्प्ट के अंक नियमानुसार दिया जावेगा।
- (18) किसी भी संस्था का एक वर्ष से कम अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (19) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर नवीन फोटो जो एक माह से अधिक पुराना न हो, वही लगाया जावे एवं फोटो के नीचे आवेदक का नाम एवं फोटो तिथी का स्पष्ट उल्लेख हो एवं स्वयं प्रमाणित हो।

महत्वपूर्ण टीप:- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि,वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताये और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।



आर्युक्त
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश 6 वी. मंजिल "क" खण्ड
सतपुडा भवन

स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / सागर में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1 विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक.....अंतिम तिथि.....
- 2 विषय
- 3 बैंकड्राफ्ट क्रमांक.....दिनांक राशि
- 4 बैंक व शाखा का नाम.....
- 5 आवेदक का नाम
- श्रेणी (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग).....

Recent
Passport Size
Photo with
Signature

- 6 पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
- 7 मोबाईल न0..... दूरभाष न0
- 8 वर्तमान पता
- 9 स्थायी पता
- 10 विकल्प :-

1. चिकित्सा म.वि. भोपाल, 2. चिकित्सा म.वि. इंदौर, 3. चिकित्सा म.वि. ग्वालियर
4. चिकित्सा म.वि. जबलपुर, 5. चिकित्सा म.वि. रीवा, 6. चिकित्सा म.वि. सागर

11 जन्मतिथि (हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री परीक्षा की अंकसूची अनुसार) विज्ञापन जारी होने की दिनांक को आवेदक की आयु दिनमाह.....वर्ष

12 क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं हॉ/नहीं.....

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

14 मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम.....

15 शैक्षणिक योग्यता (प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना है) :-

स0क0	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

16 अध्यापन का अनुभव (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथी तक के ही मान्य होंगे):-

पदनाम	कॉलेज/इंस्टिट्यूशन (एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त)	तिथि						कुल कार्यानुभव		
		कब से			कब तक			दि0	माह	वर्ष
		दि0	माह	वर्ष	दि0	माह	वर्ष			
हाउस जोब										
रेसीडेंसी/असिस्टेंट प्रोफेसर										

17 पेपर पब्लिकेशन(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथी तक के ही मान्य होंगे) छाया प्रति संलग्न करे :-

स0क0	पब्लिकेशन Topic	जर्नल	इंडेक्स/नेशनल /इंटरनेशनल

नोट :- रिसर्च पेपर/पब्लिकेशन दिनांक 03.09.2015 को एम.सी.आई. द्वारा जारी पत्र अनुसार ही मान्य किये जायेंगे एवं इसी में ही अंक दिये जायेंगे। Acceptance Letter में अंक नहीं दिये जायेंगे।

18 जीवित संतानों की संख्या एवं जन्म तिथी (प्रमाण पत्रों सहित)

19 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे द्वारा दी गई वह पूर्ण सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा। एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझ पर मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं संबंधित स्वशासी संस्था के सभी नियम एवं प्रावधान पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे।

स्थान/दिनांक

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

शपथ-पत्र का प्रारूप

मैं डॉ.आत्मज/आत्मजा श्री/डॉ. ...

..... आयु स्थाई पता

..... वर्तमान पता

..... आई डी प्रूफ संलग्न शपथ-पूर्वक निम्न कथन करता हूँ/करती हूँ

कि :-

1. मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का किसी भी न्यायालय एवं पुलिस थाने में कोई भी अपराधिक प्रकरण आज दिनांक तक न दर्ज है ना ही लंबित है।
2. मुझे किसी भी अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दण्ड आज दिनांक तक नहीं दिया गया है।
3. मेरे विरुद्ध पी.एम.टी. यू.जी./पी.जी./एस.टी.एफ. आदि किसी भी स्तर पर कोई भी कार्यवाही लंबित/प्रचलित नहीं है, यदि उपरोक्त में मेरी संलिप्ता पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति स्वतः निरस्त कर दी जाये। इस हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।
4. भविष्य में, उपरोक्त क्रं 1, 2 एवं 3 में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

गवाह :-

1.

2.

हस्ताक्षर
शपथगृहिता